निगमायुक्त की पहल पर 4 वर्ष पुराना भूमि विवाद सुलझा

नई बस्ती से कृपालपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक के सीवरेज प्रवाह का मार्ग हुआ प्रशस्त

नवभारत न्यूज

सतना 3 जून. सीवर लाइन पैकेज-2 के अंतर्गत नई बस्ती से कृपालपुर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य पिछले 4 वर्ष से रुका हुआ था.

नीमी क्षेत्र में भूमि विवाद के चलते इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा अधूरा पड़ा हुआ था. जिसे देखते हुए निगमायुक्त द्वारा पहल करते हुए संबंधित भूस्वामियों से चर्चा कर उन्हें समझाइस देने का प्रयास किया गया. नतीजतन संबंधित भूस्वामी विवाद के निराकरण के लिए राजी हो गए और जिसकी वजह से 1.5 एमएलडी सीवरेज प्रवाह का मार्ग प्रशस्त हो गया.

एक ओर जहां शहर के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य प्रगति पर है वहीं दूसरी ओर कृपालपुर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचने वाली सीवर लाइन से उसे जोड़ने का काम भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में सीवर लाइन पैकेज 2 के अंतर्गत नई बस्ती से सीवर लाइन को आगे बढ़ाते हुए उसे कृपालपुर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाना है. आगे चलकर अन्य संबंधित क्षेत्रों की सीवर लाइन को भी इसी लाइन के जरिए जोड़ते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा. लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना में उस वक्त बड़ी बाधा खड़ी हो गई जब नीमी क्षेत्र में भूस्वामियों के बीच का विवाद सामने आ गया. भूस्वामियों के विवाद की वजह से नई बस्ती से कृपालपुर एसटीपी तक जाने वाली सीवर लाइन का यह कार्य 4 वर्ष तक रुका रहा. जिसे देखते हुए निगमायुक्त डॉ. शेर सिंह मीणा ने स्वयं पहल करते हुए स्थल निरीक्षण किया. मामले को बारीकी से समझने के बाद निगमायुक्त ने संबंधित भूस्वामियों से चर्चा करते हुए उन्हें समझाइस दी. जिसका असर यह हुआ कि संबंधित भू स्वामी स्वयं भी विवाद का समाधान करने के लिए राजी हो गए. लिहाजा 4 वर्ष पुराने विवाद का समाधान होते ही उक्त मार्ग से लगभग 1.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवरेज के सुचारु प्रवाह का मार्ग प्रशस्त हो गया. इसी कड़ी में बुधवार को निगमायुक्त श्री मीणा, कार्यपालन यंत्री व सीवर प्रभारी के पी गुप्ता, सहायक यंत्री आकाश बट्टी, उपयंत्री रविराज सिंह के साथ ही पीडीएमसी कंपनी के आरई-एआरई और संविदाकार एनविराड के प्रतिनिधियों ने कार्यस्थल का निरीक्षण करते हुए आगे की रुपरेखा तय की.

जलभराव पर हुई समीक्षा

पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आने पर महापौर योगेश ताम्रकार द्वारा निगमायुक्त डॉ. शेर सिंह मीणा को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई गई थी. पत्र में निगम प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए थे. इयी कड़ी में निगमायुक्त श्री मीणा द्वारा बुधवार को शहर में जलभराव की स्थिति पर समीक्षा बैठक ली गई. समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने उपायुक्त वित्त सत्यम मिश्र और स्वास्थ्य शाखा प्रभारी अरविंद प्रताप सिंह सहित मातहत अमले को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाए. फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए. साथ ही शिकायतों के त्वारित निराकरण और आपातकालीन परिस्थितियों से निबटने की तैयारियों को और अधिक सुदृण बनाया जाए.

एमएससी की परीक्षा में शामिल होने मिली स्थाई जमानत

पास्को एक्ट में न्यायालय ने किया था सजा से दंडित

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 जून, पास्को एक्ट में सजा से दंडित आरोपी ने एमएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया था. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने आवेदक को परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अस्थाई जमानत प्रदान की है.

रीवा निवासी संजू कुशवाहा को जिला न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत सजा से दंडित किया था. सजा के खिलाफ आवेदक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील की सुनवाई के दौरान आवेदन पेश किया गया कि वह एमएससी केमिस्ट्री के चौथे सेमेस्टर का छात्र है. उसकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है. परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अस्थाई जमानत पर रिहा किया जाये. आवेदन की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने आवेदक को परीक्षा का एडमिट कार्ड पेश करने के निर्देश जारी किए थे. आवेदक के द्वारा परीक्षा का एडमिट कार्ड पेश करने पर युगलपीठ ने उसे 15 दिनों की अस्थाई जमानत प्राप्त की है. युगलपीठ ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को निर्देश दिये है कि निर्धारित समय अवधि के बाद न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे.

एसपी ने 28 नव आरक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

जिले को मिले 198 नव आरक्षक, सौंपे गए हैं नियुक्ति पत्र

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 जून। म.प्र. शासन द्वारा पुलिस विभाग में निरंतर की जा रही भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिले को कुल 198 नव आरक्षक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आज 3 जून को एसपी कार्यालय में एसपी सियाज केएम द्वारा 28 नव नियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

वर्ष 2025 में आयोजित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक जिले में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कुल 50 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 28 नव आरक्षकों द्वारा आज एसपी दफ्तर में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए गए। शेष नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के साथ ही शेष चयनित अभ्यर्थियों को भी चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

बीहर नदी के अस्तित्व का संकट, एनजीटी गंभीर

बढ़ते अतिक्रमण को लेकर एनजीटी ने तय किया दायरा

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 जून. रीवा की जीवनदायिनी मानी जाने वाली बीहर नदी पर वर्तमान में गंभीर और अवैध अतिक्रमण हो रहा है। ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट एरिया में पक्के निर्माण, एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिव्युनल) के नियमों के अनुसार नदी के तट से 50 मीटर के दायरे में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता।

इसके बावजूद रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 और करहिया जैसे क्षेत्रों में नदी के सतही भाग और ग्रीन बेल्ट एरिया में विवाह घर (मैरिज गार्डन) और व्यावसायिक कॉ प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों का विकास-भू-माफियाओं और बिल्डरों द्वारा

नदी के किनारों की डूबने वाली जमीनों को पाटकर अवैध रिहायशी कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। हाल ही में प्रशासन ने बीहर नदी के तट पर करीब 40 एकड़ भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनी के मामले में बिल्डर को नोटिस जारी की थी।

गौरतलब है कि बीहर नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले की अमरपाटन तहसील के खरमखेड़ा (या खरमसेड़ा) ग्राम से निकली है। यह नदी सतना से बहते हुए रीवा शहर के बीच से गुजरती है और आगे चलकर प्रसिद्ध चचाई जलप्रपात का निर्माण करती है। बीहर नदी, टोंस (तमसा) नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।

नदी का रास्ता रोकना-मिट्टी और कंक्रीट का मलबा डालकर नदी की चौड़ाई को समेटा जा रहा है। जलधारा को मोड़ने या संकुचित करने की वजह से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है।

नालों का कचरा नदी में

अतिक्रमण के साथ-साथ शहर के बड़े गंदे नाले और सीवेज का पानी सीधे बीहर नदी में गिराया जा रहा है, जिससे नदी का जलीय इकोसिस्टम पूरी तरह नष्ट हो रहा है। अकेले अमहिया नाला में एक दर्जन वार्डों का दूषित पानी बीहर नदी मे गिरकर इसे दूषित बना रहा है। इस नाले में रतहरा, समान, नेहरू नगर, इंद्रा नगर, मानस नगर, विवेकानंद नगर, आजाद नगर, बजरंग नगर, उर्रहट, द्वारिका नगर, रवींद्र नगर, नरेंद्र नगर, और रसिया मोहल्ले का सारा गंदा पानी नदी मे गिर रहा है।

किनारों पर बढ़ रहा अतिक्रमण

नदी का रास्ता रोके जाने के कारण रीवा शहर में हर साल बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जब बारिश का पानी नदी में समा नहीं पाता, तो वह रिहायशी इलाकों, सड़कों और लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है।

सवारियों को लेकर ऑटो चालकों में चले लात-घूंसे

बस स्टैंड परिसर बैढ़न का मामला, लोगों ने किया बीच-बचाव

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 जून। बैढ़न बस स्टैंड परिसर में आज बुधवार को सवारी बैठाने को लेकर दो ऑटो चालकों के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ते हुए लात-घूंसों तक पहुंच गया।

घटना के दौरान कुछ देर के लिए बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। मौके

पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड परिसर में पुनः पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि पूर्व में बस स्टैंड परिसर के मुख्य गेट के बगल में पुलिस चौकी संचालित होती थी, जिसके कारण विवाद और अव्यवस्था की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रहती थी।

चौकी हटाए जाने के बाद आए दिन बस स्टैंड परिसर और मुख्य गेट के आसपास विवाद की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय नागरिकों एवं मोटर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि पूर्व में भी बस स्टैंड परिसर में चौकी स्थापित किए जाने एवं कम से कम दो पुलिस स्टाफ की तैनाती की मांग की गई थी।

मैहर छात्रावास की अधीक्षिका निलंबित

कलेक्टर ने दिए आदेश

नवभारत न्यूज

मैहर 03 जून. कलेक्टर मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने रानी दुर्गावती छात्रावास मैहर में छात्रावासी छात्राओं को बेहतर एवं गुणवत्ता भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से संपादित नहीं करने के फ्लस्वरूप तत्काल प्रभाव से छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती पुष्पलता सिंह को निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में अपचारी अधीक्षिका का मुख्यालय कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग मैहर

नियत किया गया है।

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में वर्ष भर में संचालन के शासन के दिशा-निर्देशों के बावजूद रानी दुर्गावती छात्रावास मैहर में नियमित भोजन व्यवस्था और मेस संचालन नहीं किये जाने पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पडा और उनकी शिक्षा-दीक्षा प्रभावित हुई।

छात्रावास अधीक्षिका पुष्पलता सिंह द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरते जाने पर उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

पहली बार दक्षिण भारत से जुड़ा विन्ध्य

रीवा और तेलंगाना के चार्लापल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन

नवभारत न्यूज

सतना, 3 जून. गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है।

दक्षिण मध्य रेलवे ने मध्य प्रदेश के रीवा और तेलंगाना के चार्लापल्ली (हैदराबाद) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है। इस फैसले से उन यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिन्हें नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही थी। यह स्पेशल ट्रेन जून 2026 के पूरे महीने में दोनों दिशाओं से कुल 4-4 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई प्रमुख स्टेशनों को आपस में जोड़ेगी।

ट्रेन का पूरा शेड्यूल और समय -ट्रेन संख्या 02158 (रीवा से चार्लापल्ली) यह ट्रेन 7 जून से 28 जून 2026 तक हर रविवार को रीवा से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर

02:45 बजे चार्लापल्ली पहुँचेगी।

ट्रेन संख्या 02157 (चार्लापल्ली से रीवा)-वापसी की दिशा में, यह ट्रेन 8 जून से 29 जून 2026 तक हर सोमवार को चार्लापल्ली से शाम 05:00 बजे छूटेगी और अगले दिन शाम 07:30 बजे रीवा पहुँचेगी। रेलवे प्रशासन के इस कदम से गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाले, परिवार से मिलने वाले या पर्यटन के लिए निकलने वाले आम यात्रियों का सफर काफी आसान और आरामदायक होने की उम्मीद है।

इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सौगोर (सागर), बीना, रानी कमलापति (भोपाल), इटारसी, बैतुल, आमला और नागपुर। बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, बेल्लमपल्ली, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, काजीपेट और जनगाँव।

पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रवेश की पहली सूची 6 को

8 से कॉलेजों में शुरू होगा प्रवेश, तीन चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

नवभारत न्यूज

सतना, 3 जून. मध्यप्रदेश के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नए सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेजों में प्रवेश की मुख्य प्रक्रिया आगामी 8 जून से प्रारंभ होने जा रही है।

तकनीकी शिक्षा संचालनालय की काउंसलिंग समिति के अतिरिक्त संचालक डॉ. वाय. एस. ठाकुर के जारी आदेश के मुताबिक , प्रथम चरण के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होकर 29 मई तक चली थी। आवेदनों में संशोधन के लिए विद्यार्थियों को दो दिन का समय दिया गया था। 2 जून को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 5 और 6 जून को प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेरिट

लिस्ट तैयार की जाएगी। 6 जून को पहली चयन सूची घोषित कर दी जाएगी, जिसके आधार पर 8 जून से कॉलेजों में प्रत्यक्ष प्रवेश शुरू होंगे। प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए महाविद्यालयों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। छात्राओं और अन्य विद्यार्थियों को समय पर सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सहायता डेस्क बनाई गई हैं। कई अनुभवी शिक्षकों और कर्मचारियों को इस कार्य का प्रभार सौंपा गया है ताकि दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की अन्य औपचारिकताओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके।

पॉलीटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के इच्छुक ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम चरण में स्थान नहीं पा सके हैं, उनके लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 09 जून से प्रारंभ होगी, जो 18 जून तक निरंतर चलेगी। इसके पश्चात, यदि कॉलेजों में सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें भरने के लिए तृतीय चरण यानी संस्था स्तर की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया केंद्रीयकृत चरणों की समाप्ति के बाद शुरू होगी, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 04 जुलाई से 12 अगस्त के बीच किए जा सकेंगे।

पहले चरण के रिक्त सीटें आगे चरणों में भरी जाएगी : कमला

प्रभारी कमला अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण के बाद रिक्त रहने वाली सीटों के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 9 जून से शुरू होगी, जो 18 जून तक चलेगी। इसके पश्चात भी यदि सीटें खाली रहती हैं, तो तृतीय चरण यानी संस्था स्तर की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई से 12 अगस्त के बीच किए जा सकेंगे।

जहरीले सर्प के काटने से युवती की मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 जून। चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम भितरी निवासी एक 17 वर्षीय युवती को जहरीले सर्प ने बीती रात सोते समय सीने में काट लिया, जहां युवती की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार ग्राम भितरी निवासी सुखलाल बैगा की 17 वर्षीय पुत्री रैमुनिया बैगा अपने घर में परिवारजन छोटी बहन के साथ सो रही थी कि 2 जून की आधी रात करीब 12 बजे जहरीले सर्प ने चारपाई में चढ़ कर सीने पर काट लिया। जहां बालिका की हालत बिगड़ने लगी, प्राथमिक घरेलू उपचार किया जा रहा था, लेकिन बालिका नही बची। आज बुधवार को परिजन थाना पहुंच सूचना दर्ज कराया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

बैढ़न शिव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा

कोतवाली क्षेत्र बैढ़न के समीपी पुराने जिला चिकित्सालय परिसर बैढ़न स्थित शिव मंदिर से चोरी हुई घंटी, बर्तन एवं अन्य पीतल की सामग्री के मामले में कोतवाली पुलिस बैढ़न को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गए माल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह शिव मंदिर से घंटी, बर्तन एवं अन्य पीतल की सामग्री को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया था। जिसकी सूचना मंदिर के पुजारी ने कोतवाली पुलिस को दिया था।

कर्मचारियों के वेतन में अनियमितता मिली तो होगी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 जून। कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में आज बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित समय सीमा बैठक में प्राप्त पत्रों और लंबित प्रकरणों की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने एनसीएल की गोरबी ब्लॉक-बी, जयंत एवं निगाही परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत ओबी कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए कि शासन के नियमानुसार और पूर्व में निर्धारित मापदंडों के तहत स्थानीय नागरिकों को

रोजगार मुहैया कराएं। साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित कंपनियां अपने द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची तत्काल श्रम विभाग को उपलब्ध कराएं। श्रम विभाग इस सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया और निर्धारित मापदंडों के अनुसरण की बारीकी से जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच दल द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हुए कलेक्टर ने कंपनियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को समय पर निर्धारित वेतन और पीएफ का भुगतान करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

100% जल विलेय उर्वरक के उत्पादन, भंडारण और बिक्री के संबन्ध में सूचना

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेश क्रमांश 2900 (E) दिनांक 24 अक्टूबर 2015 के सन्दर्भ में कृषि निदेशक, मध्य प्रदेश को अवगत कराना चाहेंगे कि दयाल फर्टिलाइज़र्स मेरठ द्वारा 100% जल विलेय मिश्रित उर्वरक की निम्नलिखित रेंज प्रस्तुत की जाएगी जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में कर रहें हैं।

क्रम सं.	विवरण	NPK,S 15:25:20,4	NPK,Ca,B 05:38:18,2,0.2	NPK,S,B 08:06:35,7,0.2	NPK,B 14:15:30,0.2	NPK,B 15:30:20,0.2	NPK,Ca,S,B 11:32:14,3,2,0.3	NPK,S,B 08:24:08,10,0.3	NPK,Ca,S,B 06:12:30,3,7,0.3	NPK,Ca,S,B 18:16:08,2,2,0.2	NPK,S,B 12:16:24,3,0.3	NPK,Ca,S,B 11:05:32,2,5,0.5	NPK,Ca,S,B 06:20:32,2,4,0.3	NPK,Ca,S,B 07:15:35,2,6,0.3
1.	नमी प्रतिशत (वजन में) अधिकतक	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2.	कुल नाइट्रोजन प्रतिशत (वजन में) न्यूनतम	15	05	08	14	15	11	8	6	18	12	11	6	7
3.	जल विलेय फॉस्फेट (P_2O_5 के रूप में) प्रतिशत (वजन में) न्यूनतम	25	38	06	15	30	32	24	12	16	16	05	20	15
4.	जल विलेय पोटाश प्रतिशत (वजन में) न्यूनतम	20	18	35	30	20	14	08	30	08	24	32	32	35
5.	कैल्शियम प्रतिशत (Ca के रूप में) (वजन में) न्यूनतम		02				03		03	02		02	02	02
6.	सल्फर प्रतिशत (S के रूप में) (वजन में) न्यूनतम	04		07			02	10	07	02	03	05	04	06
7.	बोरॉन प्रतिशत (B के रूप में) (वजन में) न्यूनतम		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3
8.	क्लोराइड का कुल प्रतिशत (वजन का प्रतिशत) अधिकतम	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
9.	पानी में अघुलनशील पदार्थ, (वजन का प्रतिशत), अधिकतम	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10.	सोडियम NaCl के रूप में (वजन का प्रतिशत), अधिकतम	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

ISO 9001

दयाल फर्टिलाइज़र्स (प्रा0) लिमिटेड

दिल्ली रोड परतापुर, मेरठ-250103, फोन : +91 9792201571

टोल फ्री नं0: 1800 270 1979

e-mail: info@dayalgroup.com ★ Web: www.dayalgroup.com

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99